खण्ड-198, अंक-5
मंगलवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(16 सितम्बर, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष श्री आत्मारामगोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--२४८

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेश चन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तारसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जपगति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री

जागेश्वर, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारा देवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी ०
दाताराम चौधरी, श्री
दीन दयालु करुण, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागश्वर प्रसाद, श्री
नारायण दास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट , श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
वीरसेन, श्री
व्रज गोपाल सक्सेना, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुख लाल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १६ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया ।]

*५—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया ।]

देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक में अनुचित एवं अवैधानिक हस्तक्षेप

*६—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—(अ) क्या यह सही है कि दिनांक १२ अगस्त, १९५८ ई० को देवरिया जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक कुछ व्यक्तियों के अनुचित एवं अवैधानिक हस्तक्षेप से स्थगित करनी पड़ी ? यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री घटना पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

(ब) क्या प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्यवाही हुई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैंने प्रश्न किया था कि घटना क्या हुई, उस पर वह प्रकाश डालें । विचाराधीन का क्या मतलब है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, १२ अगस्त, १९५८ को अन्तरिम् जिला परिषद् की बैठक थी, उसमें पहले सब सदस्यों ने शपथ ग्रहण की । ग्रहण करने के बाद एक प्रस्ताव यह आया कि यह बैठक स्थगित कर दी जाय और कार्य कोई न किया जाय । इस संबंध में श्री गेंदासिंह ने कई बार बोलने की चेष्टा की और बोलते रहे कि स्थगित नहीं करना चाहिये । जिलाधीश जो उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने इस पर मत लिया । अधिकतर लोगों की यह राय थी कि स्थगित करना चाहिये । इस पर गेंदासिंह जी ने यह प्रयत्न किया कि जो एजेंडा मेंज पर रक्खा था, उसको छीन लिया और फाड़ लिया, लेकिन चूंकि बहुमत की यह इच्छा थी कि मीटिंग स्थगित कर दी जाय, इसलिये स्थगित कर दी गयी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मीटिंग में आने के पहले १०० प्रजा समाजवादी कार्यकर्त्ता भी उस जिला बोर्ड के कार्यालय के बाहर खड़े थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, यह बात तो सही है कि कुछ लोग बाहर थे जिनके पास झंडे थे और यह नहीं कहा जा सकता कि किन पार्टियों से वे सबंधित थे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाबोर्ड के कार्यालय के बाहर खड़े हुए जब लोग थे उन लोगों ने भी सभा चलते समय जब शोर किया तो उस समय जिलाधीश ने कार्यवाही की या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिस वक्त मीटिंग स्थगित करने की घोषणा हुई है, उसके बाद वह लोग अन्दर जरूर आ गये, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया इस पूरे विषय पर ही विचार हो रहा है ।

*७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया ।]

*८-९---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---[हटा दिये गये।]

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील में सस्ते अनाज की दूकानें

*१०---श्री रामलखन मिश्र(जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती, में इस समय कितनी दूकानें सस्ते गल्ले की चालू हैं ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---इस समय तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती, में ३५ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें चालू हैं।

श्री रामलखन मिश्र---क्या आदरणीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह जो ३५ दूकानदार नियुक्त किये जा चुके हैं, गल्ला उन पर जाता है या केवल सैंक्शण्ड हैं ३५ दूकानें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य----जहां तक मुझे ज्ञान है, इस समय शायद सभी दूकानें नियुक्त हो चुकी हैं, गल्ला भी जाता है। यदि किसी विशेष स्थान के संबंध में माननीय सदस्य पूछें तो मैं बताने की स्थिति में हूंगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ३५ दूकानों में से प्रत्येक को कितना गल्ला प्रति दिन बिक्री के लिये दिया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अब २५ मन।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या प्रदेश में कुछ ऐसे लोगों को भी गल्ले की दूकानें दी गयी हैं जो बकायदा गल्ले का रोजगार करते हैं और जिनके चक्कियां वगैरह भी हैं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---इसका तो खयाल रखा गया है कि जहां तक हो सके जिन लोगों की चक्कियां हों उनको गल्ले की दूकानें न दी जायं लेकिन यह यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ३,८५० दूकानों में से कुछ दूकानें ऐसे लोगों के पास नहीं होंगी जिनके पास चक्कियां भी हों। रह गया यह कि जो गल्ले का काम करते हैं उनके बारे में हमारा उसूल यह है कि जो बड़ा काम करने वाले हैं, यानी गल्ले के थोक व्यापारी, उनको दूकानें न दी जायं लेकिन जो छोटा काम करने वाले हैं, रिटेल डीलर्स उनको देने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री महोदय उन लोगों के लाइसेन्स कैन्सिल करने की कृपा करेंगे जिनके पास चक्कियां हैं और जो बड़े दूकानदार हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---बहरहाल, अगर इत्तला आयेगी और यह मालूम होगा कि वे अपना फर्ज सही तरह से अन्जाम नहीं दे रहे हैं, तो हम यकीनन उनके लाइसेन्स कैन्सिल करेंगे।

*११---डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा(जिला सीतापुर)---[हटा दिया गया।]

*१२---राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---[हटा दिया गया।]

*१३-१४---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

*१५-१६---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---[हटा दिये गये।]

*१७-१८---श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---[हटा दिये गये।]

*१९-२०---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---[हटा दिये गये।]

*२१—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[हटा दिया गया।]

बदायूं जिलान्तर्गत सहसवान नगरपालिका में उपसमितियां न बन सकना

*२३—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले की नगरपालिकाओं में ऐसी कौन-कौन सी नगरपालिकायें हैं जहां १९५७ के आम चुनाव के बाद अभी तक उपसमितियां नहीं बनी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल नगरपालिका सहसवान में १९५७ के आम चुनाव होने के बाद अभी तक समितियां नहीं बनी हैं। कदाचित् माननीय सदस्य का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा १०४ के अन्तर्गत बनाई जाने वाली समितियों से है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहसवान में सन् १९५७ से अब तक धारा १०४ के अन्तर्गत उपसमितियां न बनने का क्या कारण है और सरकार वहां पर उपसमितियां बनवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा १०४ के अन्तर्गत आवश्यक नियम बना कर विभिन्न उपसमितियों का निर्माण करना नगरपालिकाओं का डिस्क्रिशनरी कार्य है। इस संबंध में जिलाधीश ने नगरपालिका के अध्यक्ष को लिख दिया है कि वह धारा १०४ के अन्तर्गत अपनी उपसमितियां बनायें। नगरपालिका के अध्यक्ष का यह जवाब आया हुआ है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—उझानी नगरपालिका में सन् १९५७ से पहले भी उपसमितियां नहीं बनी थीं और जब नया बोर्ड सन् १९५७ में बना और उसने रेगुलेशन्स ऐडाप्ट किये तो कमिश्नर महोदय ने सात महीने तक इन रेगुलेशन्स को रखे रखा और जब यह प्रश्न पूछा गया तब वे रेगुलेशन्स मंजूर करके भेजे गये, क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस संबंध में नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन यह मुझे सूचना है कि अब तो वहां पर उपसमितियां बन गयी हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में ये उपसमितियां नहीं बनायी गयीं उनका रुटीन वर्क किस प्रकार अब तक चलता था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो बोर्ड समितियां नहीं बनाता है वह पूरा बोर्ड ही सारे कार्य को करता है।

*२४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया।]

*२५-२६—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—[हटा दिये गय।]

*२७-२९—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[हटा दिये गये।]

फैजाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*३०—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद में प्रत्येक तहसील में सस्ते गल्ले की दूकानें सरकार की तरफ से कितनी खोली गईं और किन-किन स्थानों पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला फैजाबाद की प्रत्येक तहसील के विभिन्न स्थानों में सरकार की तरफ से खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८० पर)

*३१—श्री सुखराम दास—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फैजाबाद के जिलाधीश महोदय ने कितनी दूकानों के लिये मांग की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधीश ने ९६ अतिरिक्त दूकानों की मांग की है।

श्री सुखराम दास—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश की सिफारिश के आधार पर कितनी दूकानें खोली जा रही हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त ज्यादा दूकानें फैजाबाद जिले में खोलना मुमकिन नहीं मालूम होता है इसलिये कि पश्चिमी जिलों में अभी बहुत कमी है और वहां मांग बहुत ज्यादा है और जरूरत है।

श्री सुखराम दास—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक दूकान पर प्रतिदिन कितना गल्ला दिया जाता है और कितना बंटता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैंने अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया था २५ मन।

*३२-३३—श्री मिहरबान सिंह (जिला मैनपुरी)—[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणासी)—[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर के मुहद्दीपुर मुहल्ले में इण्डस्ट्रियल लेबर कालोनी का निर्माण

*३६—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि गोरखपुर शहर के मुहद्दीपुर मुहल्ले में राज्य सरकार द्वारा एक Industrial Labour Colony का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। इस पर अगस्त ३१,१९५८ तक ३,०६,४६१ रुपया व्यय हुआ है।

*३७—श्री रामसूरत प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त Industrial Labour Colony में कितने खंडों में श्रमिक रह रहे हैं और कितने खंड रिक्त हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी कालोनी के सभी खंड रिक्त हैं।

श्री रामसूरत प्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कालोनी को किस उद्देश्य से बनाया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रमिकों के रहने के लिये यह बनाई गई थी।

श्री रामसूरत प्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रमिकों को इसमें क्यों नहीं रखा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी तक पानी और बिजली का प्रबन्ध नहीं हो सका है। जब हो जायगा तब श्रमिकों को किराये पर उठा दिये जायेंगे।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ मजदूरों ने उनके लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री केशव पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कालोनी के बनने से पहले इस बात की जांच की गई थी कि गोरखपुर में कितने मजदूरों को मकान की आवश्यकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो जरूर देख लिया गया होगा कि कितने मजदूरों को मकान की आवश्यकता है और उसी के आधार पर मकान बनाये जाते हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)-- क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मजदूर उनमें रहेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--ये १०८ क्वार्टर्स हैं और उतने ही आदमियों को दिये जा सकेंगे।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मजदूरों के पास मकान नहीं हैं अगर वह आवेदन-पत्र दें तो उस पर विचार किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह तो उनके लिये ही बने हैं, अवश्य विचार किया जायगा।

*३८-३९--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--[हटा दिये गये।]

*४०--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[हटा दिया गया।]

*४१--कुंवर श्रीपालसिंह--[हटा दिया गया।]

श्री गरीबदास (जिला जालौन)--[हटा दिया गया।]

*४३-४४--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--[हटा दिये गये।]

*४५-४६--श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--[३० सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले के घोड़ क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की प्रार्थना

*४७--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सस्ते अनाज की दूकानें सहारनपुर जिले के किन-किन शहरों और गांवों में खोली गई हैं एवं उनकी संख्या क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सहारनपुर जिले के विभिन्न नगरों तथा गांवों में खोली गई दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :

	दूकानें
सहारनपुर शहर	३०
हरिद्वार	२०
रुड़की	५
मंगलौर	२
देवबंद	३
योग	६०

*४८--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि रुड़की, भगवानपुर और मुजफ्फराबाद परगनों के घोड़ क्षेत्र में फसल अच्छी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार घोड़ क्षेत्र के गांवों में भी सस्ते अनाज की दूकानें खोलेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार घोड़ क्षेत्र में दूकानें खोलने का प्रबंध किया जा रहा है।

श्री दीनदयालु शास्त्री-- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ६० दूकानें बतलाई गई हैं उनमें से कितनी गांवों में हैं और कितनी शहरों में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो हर जगह बतला दी गई हैं। जवाब में बताया गया है कि सहारनपुर में ३०, हरिद्वार में २०, रुड़की में ५, देवबंद में ३ और मंगलौर में २।

श्री अध्यक्ष--इसमें यह दिया हुआ है कि जिले के विभिन्न नगरों और गांवों में खोली गईं दूकानों की संख्या निम्नलिखित है, तो वह यह कहते हैं कि दूकानें कुछ देहात में और कुछ टाउन्स में होंगी। इसलिये वह पूछना चाहते हैं कि गांवों और शहरों में कितनी-कितनी दूकानें हैं।

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, जहां का नाम लिया गया है वहीं पर दूकानें हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि घोड़ इलाके में दूकानें कब तक खुल जायंगी और उनकी संख्या क्या होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, ९ दूकानों को आज्ञा दे दी गयी हैं और ऐसा ख्याल है कि जिला के अधिकारी इस पर विचार करके शीघ्र ही उनको खोलने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री सुशमाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायत आयी है कि जिन लोगों को दूकानें दी गई हैं उनमें से कुछ लोगों ने दूकानें ठेके पर दे रखी हैं ? यदि हां, तो उनको कैंसिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--इसी किस्म की अगर सूचना माननीय सदस्य देंगे तो उस पर यकीनन विचार किया जायगा।

*४९-५०--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[हटा दिये गये।]

गल्ले के थोक व्यापार पर स्टेट कन्ट्रोल लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

*५१--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ले के थोक व्यापार पर भविष्य में पूरी तरह स्टेट कन्ट्रोल लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे तौर से नहीं तो किसी अंश में गल्ले के थोक व्यापार पर वह स्टेट कंट्रोल करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह चीज खाली प्रदेश के विचार करने की नहीं है। यह तो बहुत बड़ी पालिसी का मामला है। उस पर तो केन्द्रीय सरकार जब राजी होगी तभी कोई कार्यवाही हो सकती है।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष के अन्नाभाव को देखते हुये वह गल्ले के दायरे में स्टेट ट्रेडिंग का विचार रखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--- स्टेट ट्रेडिंग का तो मुझे हाल नहीं मालूम कि वाकई उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं लेकिन जहां तक हमारा खयाल है यह हम जरूर सोच रहे हैं कि जिस वक्त नयी फसल आये तो अगर उसका कोई असर कीमतों पर ज्यादा न पड़े तो कुछ अनाज खरीद कर सरकार अपने पास जमा कर ले ताकि अगर दाम बढ़ने लगें तो उस वक्त वह काम आये।

*५२---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---[हटा दिया गया।]

*५३---श्री प्रतापसिंह---[हटा दिया गया।]

*५४---श्री भजन लाल---[हटा दिया गया।]

म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज

*५५---श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर में अनेक कर्मचारी अधिक उम्र (overage) होने पर भी काम कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल कर्मचारियों के ऊपर भी सरकार का वह फैसला लागू होता है जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र ५८ वर्ष कर दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उन पर भी लागू होता है। उनकी जब ५८ वर्ष की उम्र हो जायगी तो रिटायर कर दिया जायगा, लेकिन एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि दिसम्बर, १९५५ से पहले जिसकी आयु ५० वर्ष हो चुकी है उसको ६० वर्ष तक रहने का अधिकार होगा।

*५६---श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---[हटा दिया गया।]

सहारनपुर जिले की बंजर भूमि

*५७---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कितनी बंजर भूमि है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---६३,००० एकड़।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त ६३, ०० एकड़ बंजर भूमि को तोड़ने और खेती के लायक बनाने की सरकार की क्या योजना है?

श्री सैयद अली जहीर---मैं इस वक्त नहीं बतला सकता लेकिन मेरा खयाल है कि यह हमारी आम योजना है कि जहां-जहां बंजर जमीन है उसको खेती के लायक बनाया जा सकता है तो बनाया जाय।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस बंजर भूमि में सरकार की कृषि फार्म खोलने की अथवा बेघरबार हरिजनों को बसाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री सैयद अली जहीर---यह तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है कि यह ६३,००० एकड़ जमीन कैसे इस्तेमाल होगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कितनी जमीन ऐसी है जो वन विभाग की है और कितनी गांव समाज की है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- इस समय इसका विवरण नहीं है। सूचना की आवश्यकता है।

*५८---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग से कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*५९---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग से १ जून, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितने कर्मचारी किन-किन पदों से निकाले गये और अलग करने के क्या कारण थे ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---केवल दो मेट और एक वर्क एजेन्ट जो कि वर्क चार्ज अधिष्ठान (establishment) के थे। उनके निकाले जाने का कारण उनका असन्तोषजनक कार्य था।

*६०---श्री मुक्तिनाथ राय--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह स्थान अभी तक रिक्त हैं या उन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है।

*६१---श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वे नियुक्तियां किसी चुनाव बोर्ड द्वारा की गयी थीं और आवश्यकता की सूचना प्रकाशित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---ऐसी नियुक्तियों के लिए न तो कोई चुनाव बोर्ड ही बैठाया जाता है और न अखबारों में विज्ञापन ही दिया जाता है। उक्त नियुक्तियां पूर्व की भांति सीधे ही संबंधित अधिकारी द्वारा कर ली जाती हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस वक्त तीनों कर्मचारी अपने-अपने पदों पर कितने वर्षों से काम कर रहे थे?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

लखनऊ तथा राज्य के अन्य भागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित निवास-स्थान

*६२---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा लखनऊ में कौन-कौन सरकारी कोठियां बनाई गईं और उनकी लागत क्या थी ?

श्री गिरधारी लाल---वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खे हुए विवरण पत्र में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे [पृष्ठ ५८१ पर)

*६३---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गत पांच वर्षों में प्रदेश में विभिन्न-विभिन्न अधिकारियों के लिये २५,००० रुपये से अधिक लागत की कितनी कोठियां बनायी गयीं और उनका किराया किस प्रकार वसूल होता है?

नोट---तारांकित प्रश्न ६२-६३ श्री जगदीश प्रसाद ने पूछे।

श्री गिरधारी लाल---कुल ७६। इन कोठियों का किराया उनका "स्टैन्डर्ड" रेन्ट अथवा सम्बन्धित अधिकारी के मासिक वेतन का १० प्रतिशत मासिक, दोनों में जो कम हो, लिया जाता है।

श्री जगदीश प्रसाद---इन कोठियों का कुल किराया कितना होता है?

श्री गिरधारी लाल---नोटिस चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी---२५,००० से अधिक मूल्य की कितनी कोठियां हैं?

श्री गिरधारी लाल--कुल इस तरह की कोठियां ७६ हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--- प्रश्न ६३ में स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न अधिकारियों के लिये २५,००० रुपये से अधिक लागत की कितनी कोठियां बनवाई गईं।

श्री गिरधारीलाल--- उन्हीं कोठियों की संख्या ७६ बताई गई है।

*६४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[हटा दिया गया।]

बिजनौर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति

*६५---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है? यदि हां, तो सरकार उसको सुधारने हेतु क्या करने जा रही है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है।

मिर्जापुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*६६---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मिर्जापुर में सस्ते गल्ले की दूकानें तहसीलवाइज कितनी खुली हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मिर्जापुर जिले में तहसीलवाइज निम्नलिखित दूकानें खुली हैं:---

तहसील का नाम		चालू दूकानों की संख्या
१---मिर्जापुर तहसील	.. ..	७१
२---चुनार तहसील	.. ..	३०
३---राबर्ट्सगंज तहसील	.. ..	२८
४---दुद्धी तहसील	.. ..	२६
	योग	१५५

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अभी और दूकानें खोलने की मांग उक्त जिले से की गई है?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, मुझे पता है। खाली यहीं से नहीं बल्कि बहुत जिलों से की गई है।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन दूकानों के खोलने के स्थान तथा दूकानदारों की नियुक्ति क लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री सैयद अली जहीर---अमूमन तो जिलाधीश और जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर होते हैं वे लोग इनको अलाट करते हैं।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि कुछ दूकानदारों और कुछ दूकानों के बारे में, जो कि खोली गयी हैं, यह शिकायत है कि वे उचित स्थान पर और ठीक से नहीं खोली गयीं।

श्री सैयद अली जहीर---अगर इस तरह की तफसील आयेगी तो मैं जांच करा लूंगा।

मिर्जापुर जिलान्तर्गत अदलहार-भुइली-शेरवा सड़क के निर्माण पर व्यय

*६७---श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत चुनार तहसील के अदलहार-भुइली-शेरवा सड़क निर्माण के लिये जो धन स्वीकृत हुआ है उसमें कितना १९५७-५८ में व्यय हुआ और कितना १९५८-५९ में व्यय होगा?

श्री गिरधारी लाल---कथित सड़क पर वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में १,००८ रुपया व्यय हुआ तथा सन् १९५८-५९ में इस सड़क पर व्यय के लिये १,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

*६८---श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सड़क के लिये भूमि ऐक्वायर करने में क्या देर है?

श्री गिरधारी लाल---सड़क के प्रस्तावित संरेखन में कब्रिस्तान पड़ने के कारण संरेखन को बदलने के संबंध में विचार किया जा रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस सड़क पर १९५७-५८ में २०,००० रुपया व्यय करने की व्यवस्था थी, किन्तु कुल १,००८ रुपया ही व्यय हो सका?

श्री गिरधारी लाल---जहां तक मैं समझता हूं यह सड़क तो सप्लीमेंटरी ग्रांट के अन्दर मंजूर हुई थी। उस वक्त से लेकर ऐनुअल बजट तक बहुत थोड़ा समय था। इतने थोड़े समय में १,००८ रुपया ही खर्च किया जा सका। काम मुनासिब होना चाहिये, खर्च करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। तो ज्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी, इसलिये नहीं हुआ।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस सर्वेक्षण अधिकारी ने सर्वेक्षण में गड़बड़ी की उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष---क्या उन्होंने गड़बड़ी कबूल की है?

श्री राजकुमार शर्मा---बताया गया है कि सर्वेक्षण फिर से होने जा रहा है। तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री गिरधारी लाल---बहुत सी सड़कों का जब एलाइनमेंट किया जाता है तो उसके बाद जनता की तरफ से या हमारे माननीय सदस्यों की तरफ से एतराज उठते हैं। सरकार उन पर विचार करती है और उसके बाद बहुत से स्थान ऐसे हैं कि जहां पर एलाइनमेंट बदलना पड़ता है। यह सड़क उन्हीं में से एक है।

कानपुर जिलान्तर्गत नेशनल हाईवेज के लिए अधिग्रहीत ग्राम रसधान की भूमि का मुआवजा

*६९---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में नेशनल हाईवेज का जो टुकड़ा बारा से सिकन्द्रा तक बन रहा है उसमें ग्राम रसधान के पास के लोगों की जमीनें एक्वायर की गई हैं? यदि हां, तो उन्हें कितनी-कितनी जमीन के बदले में कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---ग्राम रसधान में कुल ४६·५१ एकड़ भूमि एक्वायर की गई है जिसका मूल्य १५,५४६ रुपये ३ आना है। इसमें से ९,७०९ रुपये १२ आना का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि जिसे अभी बांटना बाकी है, सरकारी कोष में जमा है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रसधान ग्राम में कौन-कौन लोगों को कितनी-कितनी जमीन पर कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री अध्यक्ष---यह कई व्यक्तियों का सवाल है। अगर लम्बा जवाब न हो तो मैं इजाजत दूंगा।

श्री गिरधारी लाल---वास्तव में इसकी सूचना मेरे पास नहीं आयी है। सूचना मांगी गयी थी लेकिन डिटेल में सूचना नहीं आयी है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि कुछ ऐसे लोगों को रुपया दिया गया है कि जिनसे एक इंच भी जमीन ऐक्वायर नहीं की गयी?

श्री गिरधारीलाल---मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं आयी और अगर माननीय सदस्य मुझको बतलायेंगे तो मैं इंक्वायरी करा कर ठीक करा दूंगा।

*७०---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिया गया।]

*७१---श्री गोविन्द नारायण तिवारी---[हटा दिया गया।]

बलिया-सिकन्दरपुर सड़क में ली गयी ग्राम नौवाचक की भूमि का मुआवजा न मिलना

*७२---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत बलिया से सिकन्दरपुर जाने वाली सड़क में ग्राम नौवाचक उर्फ चक उसमान की कुछ जमीन पी०डब्लू०डी० ने ली है? यदि हां, तो किसकी-किसकी?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८२ पर)

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन किसानों से जमीन ली गयी है उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और उस जमीन का लगान भी उन किसानों को देना पड़ता है?

श्री गिरधारी लाल---उसको एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही है और जब तक पूरी तौर से वह एक्वायर नहीं हो जाती, सरकार उसकी ओनर नहीं बन जाती, तब तक काश्तकार उसके ओनर हैं और उनको वह लगान देना ही होगा।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी उसका मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करावेंगे?

श्री गिरधारी लाल---हां, इस बात की जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी।

*७३---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---[हटा दिया गया।]

श्रमिक सहयोग समितियों द्वारा निर्माण कार्य होना

*७४---श्री महीलाल---क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में श्रमिक सहयोग समितियों द्वारा निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री महीलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह आशा की जाय कि यह सूचना एकत्रित हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल---मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। पूरे सूबे भर से इत्तिला चाही है, उसमें कुछ समय तो लगेगा ही।

*७५---श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)---[हटा दिया गया।]

अधिक वर्षा के कारण मैनपुरी में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क कट जाने की शिकायत

*७६---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई सन् १९५७ ई० में अधिक वर्षा के कारण मैनपुरी जिले में कलेक्टरी कचेहरी और शहर मैनपुरी के बीच पी०डब्ल्यू०डी० की जो सड़क कट गई थी उसकी मरम्मत में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल---जुलाई, १९५७ में मैनपुरी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई सड़क नहीं कटी थी, अतः मरम्मत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*७७-७८---श्री गया प्रसाद---[हटा दिये गये।]

*७९-८०---श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---[हटा दिये गये।]

वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*८१---श्री लोकनाथ सिंह---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में माह जुलाई, सन् १९५८ के पहले सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या क्या थी और जुलाई में कितनी दूकानें और बढ़ायी गईं और कहां-कहां ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कटेहर क्षेत्र में जुलाई १९५८ से पहले सस्ते गल्ले की सात दूकानें थीं और जुलाई तथा अगस्त के महीनों में क्रमशः एक-एक दूकान और बढ़ा दी गई। बढ़ाई गई दूकानों में से एक रजवाड़ी और दूसरी गरथम में खोली गई है।

श्री लोकनाथ सिंह---आबादी की आवश्यकता को देखते हुए क्या मंत्री महोदय कुछ और दूकानें खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयदअली जहीर---यह तो मैं बार-बार बता चुका हूं कि हमारे पास पश्चिमी जिले में गल्ले की दूकानों की मांग बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन, बहरहाल, अगर आप इस तरह की कोई बात मुझे लिखेंगे तो उस पर मैं विचार करूंगा।

*८२---श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)---[हटा दिया गया।]

जौनपुर में गोमती के पुल की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना

*८३---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या प्रदेशीय सरकार जौनपुर नगर में सन् १९५५ की बाढ़ में गोमती नदी के शाही पुल की गिरी हुई एक गुमटी के पुनः निर्माण हेतु केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल---प्रस्तावित पुल की मरम्मत के संबंध में केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

श्री माताप्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गुमटी के पुनर्निर्माण की ओर कब कब केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---नोटिस चाहिये। जिस समय यह गुमटी गिरी उसके बाद केंद्रीय सरकार की नोटिस में ले आये थे और वह उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री माताप्रसाद---केंद्रीय सरकार की ओर से इस संबंध में कोई सूचना प्रादेशिक सरकार को प्राप्त हुई है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---मुझे जहां तक खयाल है, केंद्रीय सरकार की यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि उनके अधिकारियों ने उस काम को पूरा करने का हुकुम दे दिया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)---इन गिरी हुई गुमटियों की संख्या कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल---नोटिस चाहिये।

शाहगंज से इलाहाबाद तक रेलवे लाइन खोलने पर विचार

*८४---श्री माताप्रसाद---क्या प्रदेशीय सरकार जौनपुर जिले में शाहगंज, बदलापुर, मछली शहर होकर जंघई तक एक रेलवे लाइन निकालने के लिये केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---शाहगंज से इलाहाबाद तक रेलवे लाइन खोलने का प्रस्ताव प्रदेशीय सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास पहिले ही से भेज रक्खा है। यह प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के अभी विचाराधीन है।

श्री माताप्रसाद---क्या आदरणीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रेलवे लाइन खोलने के लिये प्रदेशीय सरकार ने कब केंद्रीय सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजा है ?

श्री गिरधारीलाल---जिस वक्त यह पूरी प्लान वगैरह हमारे यहां बनाई गई है और केंद्रीय सरकार ने जिस वक्त अपनी पूरी प्लान बनाई है उस वक्त यह चीज उनके पास भेजी गई। प्रायोरिटी के हिसाब से कम से कम ९ रेलवे लाइनें रखी गईं और उनमें से एक यह भी है।

हरदोई में सस्ते अनाज की बिक्री के लिए मुहल्ला कमेटियों का निर्माण

*८५---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई शहर में गल्ला बांटने का इंतजाम करने के लिये कितनी मुहल्ला कमेटियां संगठित की गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हरदोई शहर में फिलहाल तीन मुहल्ला कमेटियां संघटित की गई हैं।

श्री बुलाकीराम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई शहर के अन्य मोहल्लों में मोहल्ला कमेटियां बनाना नामुनासिब समझा गया ? यदि नहीं, तो क्या इन कमेटियों के बनाने में असावधानी बरती गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वहां अब एक कलेक्टरगंज, रेलवेगंज, बनविहार और एक सिनेमा हाउस के सामने हैं। इन चार में से तीन की कमेटियां बन गई हैं, चौथी बन रही है। कोई असावधानी नहीं बरती गई।

श्री बुलाकीराम---इन कमेटियों के फंकशन्स क्या हैं और क्या मोहल्ला कमेटियों को अपना काम करने की पूरी आजादी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जो मुहल्ले उस दूकान से लगे हैं उनको सहूलियत से गल्ला दिलाना है और उसके लिये वे कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे परिचय पत्र का भरना या उनके संबंध में जानकारी देना। एक प्रकार से ये कमेटियां केवल अन्न के सुचारुरूप से बंटवारे का काम करती हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने मोहल्ला कमेटियों के बारे में बतलाया है वे मोहल्ला कमेटियां न होकर सेल कंट्रोल कमेटी हैं, तो फिर हरदोई में मोहल्ला कमेटियां क्यों बनाई गईं ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं मतलब नहीं समझा।

श्री जगन्नाथ लहरी---इन दूकानों के गल्ले का बटवारा कराने के उद्देश्य से जो कमेटियां बनाई जाती हैं उनका नाम सेल कंट्रोल कमेटी है। फिर हरदोई में मोहल्ला कमेटी का नामकरण क्यों किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुमकिन है कि यह भी नाम हो।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---इन मोहल्ला कमेटियों का निर्माण कैसे किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---अमूमन जिलाधीश को अधिकार है कि वह मुकामी लोगों के मशविरे से जिन लोगों पर आमतौर से लोगों का ऐतबार हो उनकी कमेटी बनावें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---किन मुकामी लोगों से जिलाधीश मशविरा करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जिन्हें वे मुनासिब समझते हैं।

मेरठ जिले में ईंटों के भट्ठों तथा चूने की भट्ठियों के लिए कोयले का वितरण

*८६---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ की हर तहसील में पृथक्-पृथक् ईंटों के कितने-कितने भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८३ पर)

*८७---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में तहसीलवार कितनी-कितनी चूने की भट्ठियों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी भी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८४ पर)

अतारांकित प्रश्न

१---श्री जंगबहादुर वर्मा---[हटा दिया गया।]

२-३---श्री गरीबदास---[हटा दिये गये।]

बरेली में सस्ते अनाज की दूकानों का अलाटमेंट

४---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर में सस्ते गल्ले की दूकानों को एलाट करने के लिये जिला अधिकारियों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र मांगे गये ? यदि हां, तो कब-कब ऐसे प्रार्थना-पत्र मांगे गये और जनता को किस रूप में उसकी सूचना दी गई ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

५---श्री जगदीश शरण अग्रवाल---बरेली नगर में कुल कितनी दरख्वास्तें गल्ले की दूकानों के लिये प्राप्त हुईं ?

श्री सैयद अली जहीर---कुल ३७८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ।

६---श्री जगदीश शरण अग्रवाल---जिन लोगों को बरेली में दूकानें दी गईं उनको किन आधार पर दूकानें दी गईं ?

श्री सैयद अली जहीर---इन दूकानों का वितरण जिलाधीश के जिम्मे है जिन्होंने आम-तौर पर दूकानें, सहकारी समिति, पुराने राशनिंग तथा फेयर प्राइस शाप्स के दूकानदार, पुराने गल्ला विक्रेता, राजनैतिक कार्यकर्त्ता तथा शरणार्थियों को दी हैं । केवल कुछ दूकानें नये उम्मीदवारों को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिनमें एम० एल० ए० एवं एम० एल० सी० भी सम्मिलित हैं, की सिफारिश से दी गई हैं ।

विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में मुझे कुछ सूचना देना है । गोंडा से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो तार आया है वह निम्न प्रकार है---

"The breach of order u/s 144 Cr. P. C. etcetra Sri Dasrath Prasad M.L.A. arrested at Gonda district Courts to-day about eleven A. M. u/s 188 I.P.C. and 107/117 Cr. P. C. and produced in Court for trial."

श्री दशरथ प्रसाद दफा १४४ को तोड़ने के सिलसिले में और धारा १८८ ताजीरात हिन्द और १०७ और ११७ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (जाब्ता फौजदारी) के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए हैं तथा उन पर अदालत के सामने मुकद्दमा चलाया जायगा ।

इसके अलावा श्री खजान सिंह, एम० एल० ए०, के बारे में भी एक तार मुझे मिला है । वह इस प्रकार है---

"Sri Khazan Singh M.L.A. arrested to-day under section 107/117/151 Criminal Procedure Code at Unnao. He is confined to Unnao District Jail."

यह उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का तार है कि श्री खजान सिंह, एम० एल० ए०, को गिरफ्तार कर लिया गया है । यह गिरफ्तारी धारा १०७, ११७, १५१ जाब्ता फौजदारी के तहत हुई है और उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है ।

उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, से उपाध्यक्ष-पद से इस्तीफा देने की मांग

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने १२ सितम्बर को एक प्रश्न उपस्थित किया था कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने आपको कोई पत्र लिखा था । आपने बाद को बतलाने को कहा था । क्योंकि वे कल यहां आ गये हैं और आपसे उनकी कोई बात हो गयी होगी, कृपया उसके बारे में आप सदन को बताने की कृपा करें और उसके बाद मुझे अवसर दिया जाय कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं ।

श्री अध्यक्ष---माननीय नेकराम जी ने यह प्रश्न मुझसे किया था और मैंने उनसे उस दिन कहा था कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने एक पत्र मुझे लिखा है । यह उन्होंने गोपनीय करके लिखा था और मैं यह समझता था कि अध्यक्ष के नाते खासतौर से वह नहीं लिखा गया क्योंकि उन्होंने 'खेर साहब' सम्बोधन करके लिखा है । मैंने समझा कि वह मुझसे सलाह

करेंगे। इसलिये मैंने उसको गोपनीय समझ कर सदन में नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था कि वह बाहर गये हुए हैं। मैं उनसे पूछ कर फिर, अगर वह ठीक समझेंगे, तो सदन के सामने पढ़ कर सुना दूंगा। चूंकि अखबार में कुछ इस तरह की बात भी छप चुकी है इसलिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि उस पत्र को मैं सदन के सामने रख दूं और उसको सदन से न छिपाऊं।

मेरी उनसे बातचीत इस सम्बन्ध में हुई थी। उन्होंने कहा कि सदन में इसको पढ़ कर सुनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह पत्र इस प्रकार से है--

"आदरणीय खेर साहब,

तमाम विरोधी दलों के सदन में भाग न लेने के कारण एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसी दशा में मैं अपने को सदन की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ पाता हूं।

मेरी यह राय है कि आपको भी स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा की स्थापना तथा सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये सदन के इस उपवेशन को स्थगित कर देना चाहिये ताकि इस सम्बन्ध की तमाम समस्याओं के हल के लिये एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो सके।"

यह पत्र उन्होंने मुझे उस रोज लिखा था। मैं कल की बातचीत के सम्बन्ध में तो कहूंगा ही, लेकिन इस पत्र के दो रोज पहले मुझसे उनसे जो बातचीत हुई, उसका भी मैं जिक्र करना आवश्यक इसलिये समझता हूं कि सदन इस बात को समझ ले कि किस परिस्थिति में इस तरह की बात उन्होंने लिखी। वे मेरे पास पत्र लिखने से दो रोज पहले आये थे। उन्होंने कहा था कि अब स्थिति ऐसी गंभीर हो गयी है कि विरोधी दल के नेता और उनके दल के सब सदस्य उठ कर चले गये और नहीं आये तो मुझे इस समस्या के बीच में पड़ना चाहिये और कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करना चाहिये; यह सुझाव मुझसे उन्होंने कहा। मैंने कहा कि यह बहुत उचित आपकी सलाह है और मैं बराबर ध्यानपूर्वक जब-जब परिस्थिति ऐसी होती गयी तो यह विचार करता रहा हूं कि क्या मुझे बीच में पड़ने की कहीं गुंजायश या आवश्यकता है या नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि केन्द्र में तो यह बात हुई कि स्पीकर ने अपील कर दी, उसके पश्चात् प्रधान मंत्री ने सब पार्टियों से मिल कर समिति वगैरह बना ली। लेकिन यहां पर मुझे अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इसके पेश्तर सदन के सामने सहयोग के लिये अपील की थी। तो जब आवश्यकता न हो तो बिला वजह अपील मैं करूं यह तो कोई ठीक चीज नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री की अपील का परिणाम देखने का प्रयत्न किया कि दूसरी तरफ से कोई रेस्पांस होता है या नहीं। बाद में सोचा कि यदि कोई कठिनाई हो विरोधी दल के लोगों को, तो मेरे पास आकर वे कहें कि तुम इसके बीच में पड़ो और अमुक बात हमारी सरकार से मनवाने का प्रयत्न करो, तो मैं कुछ करूं। जिस वक्त वातावरण गम्भीर हो जाता है तो "बिहाइंड दि सीन" चेम्बर में बैठ कर कभी-कभी अध्यक्ष की सहायता सब पार्टीज लिया करती हैं और आप यह बात पार्लियामेंटरी पद्धति में अचानक होती देखेंगे कि जो बातें बाहर स्पष्ट नहीं हो सकती थीं, कभी-कभी उन पर तसफिया अचानक हो जाता है और उसके पीछे थोड़ा बहुत हाथ या सहायता अध्यक्ष की रहती है। मैं प्रतीक्षा करता रहा पर विरोधी पार्टियों में से किसी ने भी इस विषय में अपील नहीं की और इसके बाद सत्याग्रह वगैरह शुरू हो गया। इसके बाद कामरोको प्रस्ताव भी आ गया, अविश्वास का प्रस्ताव भी आ गया और सदन में गरमागरमी बढ़ती ही गयी। तो मैंने उपाध्यक्ष से कहा कि ऐसी हालत में बड़ी नाजुक परिस्थिति पैदा हो जायगी अगर किसी से कुछ बात मेरी तरफ से कही जाय और तटस्थता से सदन का कार्य चलाने का जो अध्यक्ष का कर्त्तव्य रहता है उससे पृथक ये बातें होंगी अगर मैं किसी से कहता हूं कि तुम यह काम करो या यह काम न करो। तो ऐसी परिस्थिति में बड़े संभल कर हम लोग बात कर सकते हैं। इस समय तो मैं अपील भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि नेता सदन द्वारा अपील की जा चुकी है। अगर मैं अपील करता हूं तो विरोधी दल के लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आंदोलन द्वारा प्रयत्न है और हमारी जो नीति है उसको अध्यक्ष इस तरह से अपील करके ठेस पहुंचाते हैं और हमारे रास्ते को समझते हैं कि हम गलती पर हैं। तो इसलिये हमको

[श्री अध्यक्ष]

सम्भल कर बात करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप अगर मुझको कहते हैं कि मैं कुछ करूं तो आप भी उपाध्यक्ष के नाते विरोधी दल के लोगों से कहने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद अचानक मेरे पास यह पत्र आया और मुझे उस पर आश्चर्य अवश्य हुआ कि जहां समस्या सुलझाने के प्रयत्न करने की बात चल रही थी उसके विपरीत यह पत्र कैसे आया ! कल जब उपाध्यक्ष दौरे से वापस आये तो मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप अपने इरादे पर पुनर्विचार करें। इस सम्बन्ध में मेरी उनकी बहुत बातचीत हुई जिसको इस वक्त मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन उन्होंने अन्त में कहा कि वे इस वक्त असमर्थ हैं, पुनर्विचार करने के लिये और जो अपने लिये उन्होंने नीति रखी है वह तो यही है कि सदन में जब तक विरोधी पार्टीज नहीं आ जातीं तब तक फिलहाल उनकी यही नीति रहेगी कि वह यहां उपाध्यक्ष की हैसियत से सदन में नहीं बैठेंगे जिस वक्त कि मैं गैरहाजिर हूंगा। यहां तक बात हुई, वह मैंने सदन को सुना दी, जो माननीय सदस्य ने सूचना चाही थी।

श्री नेकराम शर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज २३९ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर जो हाउस आफ कामंस में चेयरमैन वेज ऐंड मीन्स होता है, उसके बारे में यह स्पष्ट दिया हुआ है--

"The Chairman of Ways and Means during his occupation of that office follows the same tradition of abstention from party controversy as the Speaker."

अध्यक्ष महोदय, आपको पत्र लिखकर के माननीय उपाध्यक्ष पार्टी कन्ट्रोवर्सी में पड़े और उन्होंने यह भी कहा कि या तो सदन ऐडजर्न कर दिया जाय साइने डाई अथवा वह इसमें भाग न लेंगे। कल वह यहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पर प्रिसाइड करने के लिये नहीं आये। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं--आपने उनसे बात कर ली होगी-- दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो यह हो सकता है कि वह स्वयं इस्तीफा दे दें। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि सदन ऐसा कोई प्रस्ताव स्वयं लाये कि उनको उपाध्यक्ष पद से अलग किया जाय। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने उनसे इस सम्बन्ध में कोई बात कर ली है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि वे दोनों एक ही तरह से एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और तटस्थ दोनों को रहना चाहिये; यह सिद्धान्त बिलकुल सही है। लेकिन इसमें 'डेलीकेसी' इस बात की है कि मैं कोई राय नहीं दे सकता नियम के अनुसार पूरे सदन को ही यह अधिकार है कि वह कोई भी कार्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करें तो उसमें उनके कार्य से वह सहमत है या नहीं यह कहे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अध्यक्ष ने एक दफा कहा भी था जिस वक्त चार्ल्स फर्स्ट का राज्य था-- अध्यक्ष ने कहा था कि मेरी आंखें कोई भिन्न नहीं हैं जो सदन की आंखें हैं, वही मेरी भी आंखें हैं, जो सदन के कान हैं वही मेरे भी कान हैं, सदन की जो नीति है वही अध्यक्ष की नीति हो सकती है। सदन बैठता है मैं बैठता हूं। यह सिद्धान्त की बात सही है। यही एक सिद्धान्त है मेरे लिये। लेकिन इस विषय पर मतभेद भी हो सकता है। अगर मतभेद होता है तो जो सदन को उसके लिये उपाय करना है वह करे। सदन को पूर्ण अधिकार है कि सदन जानकारी हासिल करने के बाद जो उचित कार्यवाही उसको करनी है समझाने की या कोई और तरीका जो वह उचित समझे वह कर सकता है। मैं उचित तरीके के सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दे सकता हूं। चूंकि मेरे साथ उपाध्यक्ष काम करने वाले हैं, उसकी वजह से मेरी 'डेलीकेसी' इस विषय में है। सदन जो कार्य उचित समझे वही करना उसके लिये ठीक होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि श्री रामनारायण त्रिपाठी का इस

डिप्टी स्पीकर के पद से विच्छेद हो जाय और मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि मैं उनको सदन की यह राय--मेरा ऐसा खयाल है कि सारे सदन की यही राय होगी--उनके पास तक पहुंचा दूं और उनको यह सूचित कर दूं कि अच्छा यह होगा कि वह इस पद से इस्तीफा दे दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सारे सदन की राय इस विषय पर मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसका कारण यह है कि संविधान में यह दिया हुआ है कि अगर सदन का यह खयाल है कि उनका विश्वास किसी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर नहीं रहा तो सदन में प्रस्ताव हटाने का हो सकता है इस विषय में । यदि ऐसा प्रस्ताव उपस्थित हो तभी सदन की राय मैं ले सकूंगा । हां, मैं यह कह सकता हूं कि नेता सदन की यह राय है जिसे इस वक्त उन्होंने प्रकट किया और यह भी मैं कह सकता हूं कि कुछ और सदस्यों के भी ऐसे विचार मुझे प्रतीत हुए । संविधान में यह भी दिया हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्वयं इस्तीफा चाहें तो दे दें । इसलिये नेता सदन का यह सुझाव भी हो सकता है । और इस सुझाव की सूचना तो मैं समझता हूं उनको मिल ही जायगी, और मैं भी दे दूंगा कि इस तरह का सुझाव है । उस पर अमल करना या न करना उनका काम है । फिर सदन को जो रास्ता दूसरा इसमें संविधान में दिया हुआ है वह खुला हुआ है, उस रास्ते के अनुसार ही मैं सदन की राय ले सकता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उनसे आज बात कर लें और सदन की और नेता सदन की जो इच्छा है उससे अवगत करा दें और उसका कल आप निर्णय बता दें ।

श्री अध्यक्ष---यह बात अब फिर से सदन में नहीं आयेगी । मैंने अपना कर्त्तव्य खत्म कर दिया सिद्धान्त बता कर । लेकिन मेरी उनकी जो बात होगी, मैं सदन में उस बात को नहीं रखूंगा ।

'नवजीवन' में छपे श्री रामसिंह चौहान के वक्तव्य के संबंध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि १६ सितम्बर के नवजीवन में माननीय राम सिंह चौहान जी का एक वक्तव्य छपा है और उन्होंने यह भी उसमें लिखा है कि आप भी उनको देखने गये अस्पताल में और आपसे भी उनसे कोई बात हुई और शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को भी कोई पत्र लिखा है । तो मैं जानना चाहूंगा आपसे क्या बातें हुई ?

श्री अध्यक्ष---उसमें क्या आप कहते हैं, क्या लिखा है ?

श्री नेकराम शर्मा---उसमें यह लिखा है : "सोशलिस्ट विधायक श्री रामसिंह चौहान ने जो कि आज कल स्थानीय बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं विधान सभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख कर....."

और अन्त में लिखा है : "रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् अध्यक्ष श्री खेर कई बार श्री चौहान को देखने अस्पताल जा चुके हैं ।" .....

श्री अध्यक्ष---यानी उस पत्र का भी हवाला किया है कि उस पत्र में क्या लिखा है ?

श्री नेकराम शर्मा---जी यह नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष---तो क्या लिखा है ?

श्री नेकराम शर्मा---अगर आज्ञा हो तो पढ़ कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष---हां सुनाइये ।

श्री गेकराम शर्मा—"सोशलिस्ट विधायक श्री रामसिंह चौहान ने जो कि आज कल स्थानीय बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं विधान सभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख कर अपनी शारीरिक स्थिति को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता, राजनीतिक साथियों और संबंधियों के सामने रखने का अनुरोध किया है।

श्री चौहान गत ८ सितम्बर को विधान सभा के सदन भवन से अन्य ११ सोशलिस्ट विधायकों के साथ पी०ए०सी० के सिपाहियों द्वारा निकाल फेंके गये थे और वे बेहोशी की हालत में बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किये गये थे।

श्री चौहान ने प्रेस संवाददाताओं को बताया कि जब पी०ए०सी० के सिपाही श्री राजनारायण को सदन से निकालने के लिये घसीटने लगे तो वे राजनारायण का हाथ पकड़ कर बैठ गये जिसके कारण उन्हें भी घसीटा गया। सदन के बाहर निकालने के बाद भी सिपाही उन्हें घसीटते रहे और वे उसका प्रतिरोध करते रहे . . . . ।"

श्री अध्यक्ष—यह तो पत्रकारों को उनके द्वारा बताया गया है। परन्तु मुझे जो पत्र श्री चौहान ने लिखा है उसमें बात दूसरी लिखी है, और वह कहते हैं कि मैं उनसे मिला। इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचना दिये देता हूं। जिस रोज, ८ तारीख को मैं दो ढाई बजे घर से सदन में वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक खाली स्ट्रेचर चला जा रहा है। किसी ने कहा कि राम सिंह जी को चोट लग गई है, उनको अस्पताल भेजना है और वह शायद बेहोश हैं उनके लिये स्ट्रेचर जा रहा है। ऐसी कुछ बात मुझे बतायी गई। उसके बाद मैं लिफ्ट से ऊपर आया तब तक वह अस्पताल चले गये थे। तब थोड़ी देर बाद मैंने टेलीफोन से अस्पताल में पूछा कि उनको कितनी चोट लगी। तो वहां कोई अग्रवाल नाम के डाक्टर थे उन्होंने बताया कि शर्मा जी इस वक्त नहीं हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि उनको कोई खतरा नहीं मालूम होता है। दूसरे रोज मैं खुद मिलने गया और मेरे साथ डाक्टर शर्मा भी थे और मुझसे राम सिंह चौहान जी से बात चीत हुई। मैंने जिस प्रकार कि सहानुभूति दिखानी चाहिये साधारण तरीके से, उस प्रकार से मैंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ और उनसे पूछा कि आपको कहां चोट लगी। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या किसी ने आपको मारा, पीटा वगैरह ? क्या किसी ने हमला किया ? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनके शब्द थे कि मुझे इतना मालूम है कि मैं राजनारायण जी को बचाने के लिये अपना हाथ उनके हाथ में डाले हुये था। तो जहां कड़ी लगी हुई थी वहां बड़े जोर से किसी ने धक्का मारा। मैंने पूछा काहे से मारा तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल मुझे याद नहीं है। मैं बता नहीं सकता, बड़ी जोर से एक धक्का लगा और मेरे पेट में 'इन्टेंस पेन' हुआ और मैं बेहोश हो गया। उसके साथ ही शायद कड़ी टूट गई—तो कड़ी छुड़ाने के लिये शायद ऐसी चीज की गई। मैंने पहले ही दिन पूछताछ की थी शाम को तो मुझे एक लड़के ने बताया था कि जब कड़ी नहीं टूटती थी, कुछ लोगों ने ऐसा किया कि दोनों हाथ जोर से पकड़ लिये थे इस पर जहां कड़ी लगी थी वहां जोर से धक्का दिया गया और कड़ी टूट गई। मैंने श्री चौहान से पूछा था कि ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने पैर से धक्का दे दिया हो। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि जूते की नोक मेरे पेट में लग गई हो, मैंने डाक्टर साहब से कहा कि आप इसकी परीक्षा कर लें क्योंकि मेरा खयाल यह था कि अगर मैं यह बात डाक्टर को बता दूंगा तो उन्हें परीक्षा करने में आसानी होगी, इसी इरादे से मैंने उनको उस लड़के की बताई हुई बात बता दी कि वह परीक्षा कर लें कि कहीं अधिक चोट तो नहीं है। उसके बाद परसों नरसों मैं फिर गया था, मैंने कहा था कि 'एक्सरे आदि कर लिया जाय' उस पर मालूम हुआ कि स्क्रीनिंग कर लिया गया है और कोई मारने पीटने की चोट नहीं है। केवल हाथ छुड़ाने में जो धक्का लगा है उससे ही कुछ चोट लगी थी। डाक्टर शर्मा ने माननीय मुख्य मंत्री के पास भी वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, मैंने भी उनसे कहा कि एक डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास भी भेज दी जाय लेकिन इस बारे में शायद उनके यहां कायदा यह है कि वह अपने मंत्री जी के पास ही ऐसी रिपोर्ट भेजते हैं। मैं तो स्वयं इस विषय में इन्क्वायरी करने वाला था लेकिन अब मैं समझता हूं कि अखबार वालों को उचित है कि जब तक यह इन्क्वायरी चले कि

ज्यादती हुई या नहीं, और वह इन्क्वायरी समाप्त न हो जाय तब तक ऐसे वक्तव्यों का प्रचार न करें तो अच्छा है। अगर वह होता है तो उस का प्रभाव इन्क्वायरी पर भी पड़ सकता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत सी चीजें एक दफा कह दें और फिर वह उस पर स्टिक करने की कोशिश करें तो सच्चाई का निकालना कठिन हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे समाचार-पत्र भी जांच में सहायक होंगे। जो चिट्ठी लिखकर श्री राम सिंह ने मुझे भेजी है वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं।

'श्रीमान सर्वदलीय अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा : आदरणीय अधीक्षक महोदय,

बलरामपुर आरोग्यालय, लखनऊ।

महामान्यवर,

सादर, सप्रेम एवं सविनय निवेदन है कि मैं इस आरोग्यालय में विगत ८ सितम्बर, १९५८ से विधान भवन में घटी घटना में पदत्राणपूर्ण पदाघातों से पीड़ित पीड़ा के प्रशमनार्थ पड़ा हुआ हूं और आदरणीय अधीक्षक महोदय एवं अन्य चिकित्सकों की कृपा एवं कुशल चिकित्सा से स्वस्थ भी हो रहा हूं।"

यह जो पदत्राण का जिक्र उन्होंने किया है यह उन्होंने मेरी बातचीत पर ही लिखा है, पहले उनको मालूम भी नहीं था कि यह किस तरह से हुआ, मैंने ही उन से कहा था कि हाथों को कड़ी तोड़ने के वक्त शायद पैर लग गया हो, वही उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि—

"अध्यक्षादरणीय,

आप के ९ सितम्बर, १९५८ के आरोग्यालय में आगमन और सस्नेह ने सहानुभूति एवं सम्वेदनापूर्ण शब्दामृत ने मेरी मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा को तो तत्काल ही प्रशान्त कर दिया था, किन्तु एक और पीड़ा मुझे अब पीड़ित कर रही है वह यह कि मेरे स्नेही-सम्बन्धी शारीरिक और आर्थिक कष्ट उठाकर मेरे पास दूरस्थ स्थान से आ रहे हैं, "और करहिं अपराध कोउ और पाव फल भोग" के अनुसार मैं तो भुगत ही रहा हूं अपितु मेरे स्नेही संबंधियों को भी भुगतना पड़ रहा है।" यानी उनका मतलब यह है कि मैंने अपराध किया तो मैं तो भुगत ही रहा हूं, लेकिन मेरे स्नेही-संबंधियों को आकर मेरे लिये तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ी। "अस्तु अध्यक्षादरणीय से विनम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों पर पाबन्दी समीचीन नहीं, इतना समाचार तो दिया ही जा सकता है कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं।" यह समाचार वह चाहते थे कि समाचार-पत्रों को दे दें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, किसी को मेरे पास आने की अब जरूरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त अभी मुझे यहां के आदरणीय अधीक्षक महोदय ने आज्ञा दी है कि मैं बलरामपुर आरोग्यालय व्यय का भुगतान करूं इत्यादि। व्यय के बारे में मुझसे श्री राम सिंह ने कुछ जिक्र किया है और मैं समझता हूं कि वह प्राइवेट चीज है, मेरे दफ्तर से संबंधित है। मैंने उनसे कह दिया था कि इस बारे में आप फिक्र न करें, मैं कोई व्यवस्था उसके लिये कर दूंगा। मैं उनके पास परसों भी गया था इस पत्र के बाद, तो मैं उनसे यह बात कह आया था। इसके बाद भी, मैं समझता हूं कि अगर माननीय प्रतिनिधिगण जो अखबारों के हैं, वे अखबारों में इन्तजाम कर दें कि जब इतनी सहानुभूतिपूर्ण बात-चीत चल रही है और मुझे जांच भी करनी है और मुझे कई लोगों ने कई-कई बातें बतायी भी हैं कि कैसी घटना हुई, तो अगर उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर छाप दिया जायगा तो उसका बुरा परिणाम हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रकाशन वह न करें जब तक जांच की रिपोर्ट सदन में न आ जाय।

श्री नेकराम शर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना था कि इसमें समाचार यह भी है कि "विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि श्री चौहान के सम्बन्ध में डाक्टरों ने जो रिपोर्ट सरकार को भेजी है उसमें श्री चौहान की चोट को गम्भीर और चोट का कारण भयंकर बताया जाता है।" अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आयी है तो वह कृपया बतायी जाय ।

श्री अध्यक्ष---मुझे भी डाक्टर शर्मा जी ने कहा था कि हमने रिपोर्ट भेजी है और मुझे बार-बार आश्वासन दिया था कि सख्त चोट तो नहीं लगी है और उन्होंने यह भी कहा था कि चोट "सुपरफीशियल" है। इसलिये मैं बेफिक्र हो गया वरना मैं उनको बार-बार तंग करता। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, अगर रिपोर्ट आ गयी हो, सूचना वह देना चाहते हों तो मैं उचित ही समझूंगा कि वह उसे दे दें जिसमें लोगों की फिक्र कम हो।

मख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें लिखा गया कि कोई भयंकर या चिन्ताजनक कोई चोट आयी है चौहान जी को।

श्री अध्यक्ष---तो क्या रिपोर्ट में चोट भयंकर होने का जिक्र नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, रिपोर्ट में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अब मैं समझता हूं कि कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

विधान मंडल के सदस्यों के एक दूसरे के सदन की दीर्घाओं में बैठने के अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं दूसरा। मैं इस बात पर आपका निर्देश चाहता हूं कि विधान मंडल के सदस्य एक दूसरे सदनों में आते हैं उस सम्बन्ध में एक व्यवस्था हो चुकी है, इसलिये पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के और संविधान की कुछ अन्य धाराओं के आधार पर ....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें। मैंने कहा था कि इस विषय में मेरी चेयरमैन, विधान परिषद् के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि उस सम्बन्ध में प्रश्न उठ चुका था। तो इसमें तरीका यही होता है कि बजाय इसके कि सदन में कोई बहस हो पहले मुझ में तथा श्री चेयरमैन परिषद् में बात होना चाहिये फिर जब बातचीत ऐसी हद पर पहुंच जाय कि सदन में विवाद हो सके तब तो कोई बात चर्चा की होगी परन्तु यदि अभी प्रश्न उठने से श्री चेयरमैन को भी इस बारे में अड़चन मालूम हुई और मुझे भी। तो हम लोगों ने इस बारे में बातचीत करना आरम्भ कर दिया और इस विषय में बातचीत करने के बाद जो उचित होगा वह मैं सदन में रक्खूंगा ही, तो मैं समझता हूं कि आपको उसमें ज्यादा परेशानी उठानी नहीं चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैं कोई घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं, भविष्य के लिये कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं भी भविष्य के लिये ही कह रहा हूं। भविष्य के लिये ही बातचीत हो रही है।

प्रवर समिति के सदस्य द्वारा समिति से वापस आये विधेयक में संशोधन उपस्थित करने पर आपत्ति

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल इस सदन में जब राज्य सैनिक शिक्षा विधेयक पर विचार हो रहा

था उस समय भी मैंने अधिष्ठाता महोदय के सामने इस प्रश्न को उठाया था कि प्रवर समिति का कोई सदस्य अपनी उस रिपोर्ट पर जिस पर सदन विचार कर रहा है, कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकता है और उसको स्वीकार किया जा सकता है ? इसका मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मै आपके द्वारा इसकी व्यवस्था चाहता हूं। उदाहरण के लिये कल राज्य शिक्षा सैनिक बिल पर सभी संशोधन श्री जगदीश प्रसाद जी ने उपस्थित किये जो कि प्रवर समिति के स्वयं एक सदस्य थे और उन्होंने यह कहा था कि प्रवर समिति ने इन शब्दों को निकाल दिया है लेकिन मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन शब्दों को फिर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---आप पहले मेरी व्यवस्था लें। जब मैं कहूं कि बेजाब्ता है तब आप और कुछ कहें। प्रश्न यह उपस्थित किया गया है कि क्या प्रवर समिति का कोई सदस्य जो बात प्रवर समिति ने तय की है उसके विरोध में कोई संशोधन यहां सदन में उपस्थित कर सकता है या नहीं। इस विषय में पहले भी यहां कई दफा फैसला हो चुका है क्योंकि और सदस्यों ने भी जो प्रवर समितियों के सदस्य रहे हैं यहां संशोधन उपस्थित किये थे। तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि साधारणतया माननीय सदस्यों को यह चाहिये कि प्रवर समिति में जो विचार वे रखते हों उन्हीं को सदन में रखें, लेकिन मैं किसी सदस्य को रोक नहीं सकता हूं कि वह अपने विचार न बदलें। प्रवर समिति में बैठे हुये कोई बात उसकी समझ में आयी कि यह ठीक है और उसके बाद उसको सूझा कि अमुक सुधार उसमें हो जाना चाहिये, अमुक विचार मैंने गलत रखा था, तो अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिये उसको अधिकार है। इसलिये कहीं भी कानूनी रुकावट किसी सदस्य को नहीं है कि प्रवर समिति में जो बात उसने कही हो, उसके विरुद्ध यहां न कहे। बल्कि यह बात स्पष्ट है कि जो बात उसने वहां कही है या जो बहस वहां हुई है उसको सबको गुप्त रखना चाहिये। प्रवर समिति की बहसों को सदन में नहीं लाना चाहिये। लेकिन संशोधन कोई भी वह ला सकता है, वह वैध है, उसमें कोई अवैधानिक बात नहीं है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम (Statutes)†

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसेन)---श्रीमन्, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ४० की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम (statutes) को उक्त उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

‡उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा। माननीय धर्मसिंह जी कल भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

*स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय लहरी जी ने बहुत से प्रश्न उठाये थे जिनका इस सदन में उत्तर दे दिया गया है।

---

†छापे नहीं गये। †१५ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

‡१२ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मसिंह]

उदाहरण के तौर पर उन्होंने फिरोजाबाद की बात कही। तो वहां तो एक प्राइवेट कम्पनी है। वहां पर बहुत से कनेक्शन्स स्वीकार हुये लेकिन फिरोजाबाद की कम्पनी ने नहीं दिये और जब हमने उनको इस बात का नोटिस भेजा कि यहां जो नियम है उसके आधार पर आप कनेक्शन्स को नहीं दे रहे हैं इसलिये सरकार को आपका प्रासीक्यूशन करना पड़ेगा तो मैं सदन की इत्तला के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में बहुत बड़ी तादाद में वहां पावर, लाइट और फैन के कनेक्शन्स दिये गये।

दूसरी बात माननीय लहरी जी ने यह कही कि आखिर यह कंट्रोल क्यों लगाया जा रहा है। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैंने साफ-साफ निवेदन किया था कि यदि हम कंट्रोल नहीं लगाते हैं तो माननीय लहरी जी शिकायत करते हैं कि कम्पनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं और जब हम कंट्रोल लगाते हैं तो वे कहते हैं कि कंट्रोल क्यों लगाते हो ?

एक विधेयक आया और उसकी कंसेन्ट प्रसीडेंट से प्राप्त हुई और इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि इसके नियम इत्यादि बनाने के बाद मिलमालिकों से बिजली के ड्यूज जो उनके ऊपर चले आते हैं, वह वसूल किये जायं तो माननीय लहरी जी ने एतराज उठाया कि आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब विधेयक प्रस्तुत था तो आसानी से सरकार इस बात का प्रबंध कर सकती थी कि वह बिजली के ड्यूज को मिलमालिकों से वसूल करे तो एक ही रास्ता हो सकता था कि मिलें बंद हों, अनइम्प्लायमेंट बढ़े और जो प्रोडक्शन होने वाला था उसमें गड़बड़ी हो सकती थी तो सरकार ने जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक विधेयक लाई और उस समय से अब तक, हालांकि इस विधेयक की पूरी धारायें लागू नहीं हुई हैं, उसके नियम इत्यादि बन रहे हैं और हम केसा के मैनेजर को यह पावर्स दे रहे हैं कि वह बिजली के बकाया ड्यूज को वसूल करें, करीब तीन लाख रुपया वसूल किया गया है।

इसी तरह का एक प्रश्न माननीय मेहरोत्रा जी ने उठाया था कि ३१ टाउन्स में विद्युतीकरण हो जाना चाहिये था जिनमें चार टाउन्स कानपुर के थे। अकबरपुर, पुखरायां, गुसाईं गंज और महाराजपुर। इनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुसाईंगंज वगैरा में हम कोशिश करेंगे कि अक्तूबर के अन्त तक विद्युतीकरण हो जाय और महाराजगंज में दिसम्बर के अन्त तक हो सकेगा। मुझे अधिक नहीं कहना है। सभी बातों का उत्तर दे दिया गया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि विचार समाप्त करने के बाद इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ व २

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

य० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ और २ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७।

विधेयक

यह इष्टकर है कि यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय;

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---आज के लिये कोई कार्य शेष न होने के कारण अब हम उठते ह और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१६ सितम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५९ पर)

फैजाबाद जिले की सस्ते गल्ले की दूकानें एवं उनका स्थान

क्रम-संख्या	नगर अथवा तहसील का नाम	स्थान	क्रम-संख्या	नगर अथवा तहसील का नाम	स्थान
१	फैजाबाद एवं अयोध्या नगर	रकाबगंज	अकबरपुर तहसील	सुरहुरपुर	
		सिविल लाइंस		अम्बरपुर	
		कन्धारी बाजार		बन्दीपुर	
		हैदरगंज		पैकोलिया	
		दालमंडी		रामगढ़	
		दिल्ली दरवाजा		रफीगंज	
		साहबगंज		दुलहूपुर	
		लालबाग		लोरपुर	
		प्रमोदवन (अयोध्या)		पैतीपुर	
		गोलाघाट (अयोध्या)		रेनलपुर	
२	फैजाबाद तहसील	गोसाईं गंज	५	टांडा तहसील	सकरावल
		मदरसा			हयातगंज
		सुचितागंज			सुकुल बाजार
३	बीकापुर तहसील	मिल्कीपुर			बसखारी
		हरिन्टनगंज			इल्तिफातगंज
		खपड़ाडीह			रामनगर
		खजुरहठ			माडरमऊ
४	अकबरपुर तहसील	सहजादपुर			सम्हरिया घाट
		अकबरपुर			सूरापुर
		भीटी			मखदूमनगर
		जलालपुर			हजलापुर
		मालीपुर			जहांगीरगंज
		बरियावन			देवरिया
		रामपुर सकरवारी			मुंडेरा रसूलपुर
		कटेहरी			केदारगंज
		फतेहपुर			सैंधुवा
		गोविन्दपुर			चिन्तौरा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर।)

विवरण-पत्र

गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा लखनऊ में निम्नलिखित सरकारी कोठियां बनाई गई।

कोठी	लागत रु०	
१--अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ की कोठी	३५,४८५	
२--यातायात आयुक्त, उत्तर प्रदेश	५०,०००	
३--मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सचिव की कोठी ..	५०,०००	
४--उप मंत्रियों के चार आवास	२६,६००	प्रति आवास
५--उप मंत्रियों के दो आवास	३०,०००	,, ,,
६--सचिव आदि सरकारी अधिकारयों के २० आवास गौतम पल्ली में	३५,०००	,, ,,
७--सिंचाई विभाग के सरकारी अधिकारी के लिये कोठी संख्या २-ए	३४,४२६	
८--सिंचाई विभाग की कोठी संख्या ११	२६,९४२	
९--सिंचाई विभाग की कोठी संख्या १२	१९,२८४	
१०--सिंचाई विभाग की कोठी संख्या १४	२२,६२८	
११--कृषि अभियन्ता की कोठी	३७,८००	
१२--सहायक कृषि अभियन्ता की कोठी	२२,५००	
१३--डिप्टी जेलर, जिला कारागार, लखनऊ का क्वार्टर ..	३,६९१	
१४--कृषि विभाग के दो फोरमैन क्वार्टर्स	२४,८००	
१५--कृषि विभाग के सात चतुर्थ श्रेणी क्वार्टर्स ..	८,७००	
१६--कृषि विभाग के दो फोरमैन क्वार्टर्स	२४,८००	
१७--कृषि विभाग के दो सहायक फोरमैन क्वार्टर्स ..	१५,०००	
१८--कृषि विभाग के दो ट्रैक्टर मिकेनिक क्वार्टर्स ..	१५,०००	
१९--कृषि विभाग के एक सहायक स्टोर्स सुपरिन्टेन्डेन्ट क्वार्टर	७,५००	
२०--कृषि विभाग के एक ओवरसियर का क्वार्टर ..	७,५००	
२१--कृषि विभाग के एक कोषाध्यक्ष का क्वार्टर ..	४,७००	
२२--विद्युत विभाग के दो बी टाइप क्वार्टर्स ..	७,५००	(प्रति)
२३--विद्युत् विभाग के सात सी टाइप क्वार्टर्स	३,२४५	(प्रति)
२४--विद्युत विभाग का एक ई टाइप क्वार्टर	४,०००	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

बलिया-सिकन्दरपुर सड़क के पुर्ननिर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मौजा चक उसमान में १·९० एकड़ भूमि जोती गई है उसका ब्योरा

नाम काश्तकार जिनकी भूमि ली गई है--

१--मुहम्मद सईद सा० चक उसमान
२--मु० वहीद ,,
३--अब्दुल अज़ीम ,,
४--वकील मोहम्मद ,,
५--बेचू ,,
६--मु० जुंमन ,,
७--हफ़ीज ,,
८--हनुमान ,,
९--कुरबान ,,
१०--मनौवर ,,

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

जिला मेरठ में जिन ईंट के भट्ठों को कोयले का कोटा मिला है उनका तहसीलवार विवरण

तहसील का नाम	ईंटों के भट्ठोंकी संख्या		
	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	जोड़
१--मेरठ	१३	२९	४२
२--गाजियाबाद	१०	२०	३०
३--हापुड़	१३	१७	३०
४--बाग़पत	५	२७	३२
५--सरधना	५	२३	२८
६--मवाना	५	१०	१५
जोड़ ..	५१	१२६	१७७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

जिला मेरठ में जिन चूने की भट्ठियों को कोयले का कोटा मिलता है उनका तहसीलवार विवरण

तहसील का नाम	चूने की भट्ठियों की संख्या
१--मेरठ	१८
२--गाज़ियाबाद	९
३--हापुड़	४
४--बागपत	..
५--सरधना	१
६--मवाना	१
जोड़ ..	३३

विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० डी०--१७६ एल० ए०--१९५८--८४० ।